(18)

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ नवीनवर्जन / 3.0(383) / बीमा / व्य0एवंप0 / 2021–22 / 1028-1078 दिनांक: 10/XI/2023

-:कार्यालय निर्देश:-

राज्य सरकार की वर्ष 2021–22 की बजट धोषणा के अनुसार राज्य बीमा योजना मे समस्त कार्य ऑनलाईन प्राप्त किये जाकर ऑनलाईन ही निस्तारित किये जा रहे है। इस संबंध मे राज्य बीमा योजना के कार्य को सुचारू एवं शीघ्र निस्तारण किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

1. विभाग द्वारा दिनांक 01.05.2022 से बीमा कान्ट्रेक्ट (अधिक समाश्वासन) अपडेट करने का अभियान चलाया गया था, जिसमे लगभग 87 प्रतिशत रिकार्ड पूर्ण किया गया है। बकाया रहे बीमा कान्ट्रेक्ट को अपडेट करने हेतु समय–समय पर मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु अभी भी बीमा खातों को अपडेट करने का कार्य बकाया है। जिसे तत्काल पूर्ण किया जावें।
2. ऐसे कार्मिको जिनके द्वारा अन्तिम राज्य बीमा ऋण ऑफलाईन लिया गया है, उन प्रकरणों की तत्काल अन्तिम बीमा ऋण की प्रविष्टि पोर्टल पर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे अधिक / अनियमित भुगतान के प्रकरण उत्पन्न ही नही हों। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि अन्तिम राज्य बीमा ऋण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक के एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर तत्काल किया जाना सुनिश्चित करावे।
3. दिनांक 01.04.2022 एवं इससे पूर्व की बकाया समस्त बीमा पॉलिसियों को नियमानुसार तत्काल जारी किये जाने के संबंध मे पूर्व मे नियमित रूप से निर्देशित किया जाता रहा है। वर्तमान मे अभी भी अत्यधिक संख्या मे बीमा पॉलिसी जारी किये जाने के प्रकरण बकाया है। बीमा पॉंलिसी जारी नही होने को शासन सचिव वित्त द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है। अतः समस्त जिला अधिकारी बकाया समस्त बीमा पॉलिसियों को तत्काल नियमानुसार जारी करावे।
4. समस्त राज्य बीमा खातों को फ्रीज किया गया है। किसी प्रकरण मे फ्रीज खातों मे संशोधन करने के लिये उसकों यूनिट हैड / जिलाधिकारी के स्तर से अनफ्रीज किया जाता है। ऐसे अनफ्रीज खाते कई समय तक संशोधन नही होने के कारण बकाया रहते है जिसमे अधिक / अनियमित भुगतान की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अनफ्रीज किये गये खातो को तत्काल संशोधन करते हुये उसी दिन अथवा एक–दो दिन मे यूनिट हैड / जिलाधिकारी के स्तर से खातों को पुनः फ्रीज किया जावे।

पोर्टल पर जांच करने पर अनफिज खातों की संख्या अत्यधिक पाई गई, जो कि चिंताजनक है। समस्त जिला अधिकारी अनफिज खातों को तत्काल संशोधन कर फ्रीज करने की कार्यवाही करावें एवं प्रतिदिन इसकी जिलाधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref
5048815

Signature Valid
Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Director
Date: 2023.11.10 10:07:24 IST
Reason: Approved

(19)

5. राज्य बीमा ऋण ऑटो अप्रूवल के प्रकरणों की तत्काल पोस्ट आडिट किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। प्रायः यह देखने मे आया है कि कई जिला कार्यालय इस कार्य को गम्भीरता से सम्पादित नही कर रहे है तथा पोस्ट आडिट के कई प्रकरण लम्बित है। अतः राज्य बीमा ऋण ऑटो अप्रूवल के प्रकरणों की तत्काल पोस्ट आडिट किया जाना सुनिश्चित करावे।

6. दिनांक 01.04.2024 को भुगतान हेतु परिपक्व हो रही समस्त राज्य बीमा पॉलिसियों का भुगतान निर्धारित तिथि को किया जाना सुनिश्चित करावे। वर्ष 2024–25 की परिपक्वता सूची पूर्व में समस्त जिला कार्यालय को प्रेषित जा चुकी है। उक्त सूची में कुछ पॉलिसी संख्या का डुप्लीकेट होना एवं पॉलिसी संख्या का कॉलम रिक्त होना पाया गया है। उक्त सूची में पॉलिसी संख्या का संशोधन कर सूचना बीमा अनुभाग मुख्यालय को तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त संभागीय अधिकारी एवं मुख्यालय से जिला कार्यालयो मे भ्रमण पर जाने वाले अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार ठोस कार्यवाही किया जाना एवं किसी तरह की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल सिस्टम अनुभाग, मुख्यालय से सम्पर्क कर उसका समाधान कराया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

क्रमांक एफ नवीनवर्जन / 3.0(383) / बीमा / व्य0एवंप0 / 2021–22 / 1028-1078 / 10/XI/2023

दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया, मुख्यालय जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता / सिस्टम मुख्यालय जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त संभागीय कार्यालय।
4. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
5. संयुक्त / उप / सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5048815

Signature valid
Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Director
Date: 2023.11.10 10:07:24 IST
Reason: Approved

① समस्त संभाग / जिला कार्यालय को ईमेल 10/11/23 को प्रेषित। 11. s2 ...
② DS, Sadd, Vig, Add.crs, Sadd.system, Add.system, Sadd.GPF, Sadd.Nyay ...